(25)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रा/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2017/3217

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

1– स्वामी प्रसाद साहू पुत्र श्री पुन्ना साहू

2– नत्थू पुत्र श्री पुन्ना साहू

निवासीगण– ग्राम सटई तहसील बिजावर जिला–छतरपुर (म.प्र.)

––आवेदकगण

श्री ओ.पी. चतुर्वेदी अधि. 08-9-17 द्वारा आज प्रस्तुत 08-9-17 राजस्व मण्डल म.प्र.

विरूद्ध

सरमन कुर्मी पुत्र श्री खितई कुर्मी

निवासी – ग्राम भडनपुरा वार्ड नं. 13 सटई तहसील बिजावर जिला–छतरपुर (म.प्र.)

–– अनावेदक

न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डल देवरा तहसील बिजावर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ–13/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 19.07.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

08/9/17

15.09.17

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक सरमन पुत्र खितई कुर्मी निवासी भडनपुरा वार्ड नं. 13 सटई के द्वारा एक आवेदन पत्र म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया। कि उसे अपने भूमि खसरा नं. 2726/1, 2726/2 तक पहुँचने के लिये रूढिगंत रास्ता खसरा नं. 2990 में स्थित है। उसे आवेदकगण द्वारा स्थल पर बारी लगाकर अवरोध पैदा कर दिया है उक्त रास्ते को आने जाने हेतु स्थल पर खुलवाये जाये।

2. यहकि, अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डल देवरा तहसील बिजावर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ–13/2015–16 पर पंजीबद्व कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र का आवेदकगण द्वारा विधिवत् जबाव प्रस्तुत किया गया एवं बताया कि उसकी भूमि पर कभी भी रूढिगत रास्ता नहीं रहा है। ऐसी

13

I / निगरानी / छतरपुर / भू.रा./2017/3217
श्री स्वामी प्रसाद Vs. सरमन कुमी व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
27/8/18	आवेदक स्वामीप्रसाद के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी को उपस्थित को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार म०ड० देवरा तहसील बिजावर जिला छतरपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ-13/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19/4/2017 का अवलोकन किया गया।	27.8
	(2) आवेदक द्वारा उक्त आदेश 19/4/2017 के विरुद्ध म.प्र. भू रा. संहिता 1959 की धारा 50(1) के अंतर्गत दिनांक 08.09.2017 को (समय सीमा बाहर) निगरानी प्रस्तुत की है। साथ मे धारा 5 (अन्तर्गत Limitation Act) का आवेदन भी प्रस्तुत किया है।	
	(3) धारा 5 के आवेदन में विलम्ब का day to day Reason नहीं बताया गया है, एवं जो रास्ता निकाला गया है वह शासकीय सर्वे क्रमांक में है, जिस पर आवेदक का कोई हक नहीं है।	
	(4) अतः उक्त आधार पर प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य की जाती है। 27.8.18	

शाक्षेमुग्वा—355—फॉर्म—3-2-16—30,000 प्रपत्र.